Australian Government Fair Work OMBUDSMAN

सार्वजनिक अवकाश

सभी कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश के दिन काम से छुट्टी करने की अनुमति है। परन्तु, नियोक्ता कर्मचारी को इस दिन काम करने के लिए कह सकता है। यदि कर्मचारी के कोई यथोचित कारण (reasonable grounds) हों तो वह ऐसा करने से इंकार कर सकता है।

आपके राज्य या टेरेटरी (राज्य-क्षेत्र) में सार्वजनिक अवकाश की सूची के लिए हमारा सार्विजनिक अवकाश की सूची का पेज़ (www.fairwork.gov.au/leave/public-holidays) देखें।

सार्वजनिक अवकाश से सम्बन्धित हमारा छोटा वीडियो देखें।

सार्वजनिक अवकाश में वेतन

सार्वजनिक अवकाश के दिन काम न करने वाले फुल-टाइम और पार्ट-टाइम कर्मचारियों को आम-तौर पर उनके द्वारा उस दिन काम किए जाने वाले सामान्य घंटों के लिए न्यूनतम वेतन दर का भुगतान किया जाता है।

सार्वजनिक अवकाश के दिन काम करने वाले कुछ कर्मचारियों को पेनल्टी रेट (penalty rate) पर भुगतान किया जाना चाहिए। यह उनकी न्यूनतम वेतन दर से अधिक होता है।

अन्य प्रकार के अवकाश के दौरान सार्वजनिक अवकाश

यदि कोई कर्मचारी वार्षिक या रोग अवकाश (ऐन्यूअल या सिक लीव) लेता है तो भी वह सार्वजनिक अवकाश के लिए भुगतान किए जाने का पात्र होता है। यह भुगतान कर्मचारी की बकाया छुट्टियों में से नहीं काटा जाता है। परन्तु, यह ज़रूरी है कि सार्वजनिक अवकाश उस दिन आए जिस दिन कर्मचारी आम-तौर पर काम पर आएगा।

आगे क्या करें

- सार्वजनिक अवकाश की दरों का पता लगाने के लिए हमारे भुगतान कैलकुलेटर (Pay Calculator (https://calculate.fairwork.gov.au/findyouraward)) का प्रयोग करें

Contact us

Fair Work Online: www.fairwork.gov.au

Fair Work Infoline: 13 13 94

Need language help?

Contact the Translating and Interpreting Service (TIS) on 13 14 50

Hearing & speech assistance

Call through the National Relay Service (NRS):

For TTY: 13 36 77. Ask for the Fair Work Infoline 13 13 94

Speak & Listen: 1300 555 727. Ask for the Fair Work Infoline 13 13 94

The Fair Work Ombudsman is committed to providing advice that you can rely on. The information contained on this website is general in nature. If you are unsure about how it applies to your situation you can call our Infoline on 13 13 94 or speak with a union, industry association or workplace relations professional. Visitors are warned that this site may inadvertently contain names or pictures of Aboriginal and Torres Strait Islander people who have recently died.